


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH शकथ पत्र

26AC 979988

सेवामे श्रीमान् जिला त्रिकानचर अपिकारी




पुत्र लोक सभा फतेहपुर (उप्र)

शकथ पत्र मि-जातिव साधवी त्रिरंजन ज्योषी


अच्युता नन्द उअपुत्र त्रिकारी जेल गालाब रमेही

हमीरपुर काना कोठवाली हमीरपुर जिला हमीरपुर जिल्ला
में रहते हैं।



सामान्य त्रिकानचर 2014 के प्रारूप 26 त्रिक
तिलीखत उपब-वानुसार

त्रिरंजन ज्योषी



प्ररूप 26

49

(नियम 4क देखिए)

निर्वाचन क्षेत्र से लोक सेवा के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

भाग-क

(1) मैं, साध्वी निरंजन ज्योति अय्य, पुत्र/पुत्री/पत्नी अय्युताबन्द आयु 47 वर्ष, जिला ताताक, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :- मैं, भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी **एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

- (2) मेरा नाम 228 इलाहाबाद (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 105 के कम सं० 563 पर प्रविष्ट है।
(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 9415532346 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) shadwinisanjan@gmail.com है।
(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आयकर विवरणी फाईल करने की प्रार्थना:

Table with 5 columns: क्रम सं०, नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन नम्बर), वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है, आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में). Rows include स्वयं, पति या पत्नी, and three dependents.

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी, (1)निम्नलिखित मामला (मामलें) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

Table with 2 columns: Description of case (क, ख, ग, घ, ङ, च) and details including case number, date, and court name.

निर्वाचन क्षेत्र

(2)

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलो से भिन्न]: -

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नाशु नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नाशु नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नाशु नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उप धारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नाशु नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाशु नहीं
(ग)	अधिराजित दंड	नाशु नहीं
	सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की है/ नहीं है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नाशु नहीं

पति या पत्नी और सभी आश्रितों की परिसंपत्तियों (चल और अचल आदि) का विवरण निम्नानुसार देता/ देती हूँ।

अचल परिसंपत्तियों का विवरण :-

Dist. Hapur
Reg. No. 22(28)2000

2-

संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है। ज़मा/विनिधान की दशा में कम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टोक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए

यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी (नाम)	आश्रित -1 (नाम)	आश्रित -2 (नाम)	आश्रित-3 (नाम)	
(i)	नकदी	5 लाख	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (सावधि जमा, टर्म डिपॉजिट और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी/ वित्तीय कंपनियों और सहकारी समितियों के	S. B. I, Lucknow SB A/c No 20150542649 ₹. 73,412.00 S. B. I, Meerut SB A/c No - 11050775331 ₹. 26,081.70 P. N. B. Meerut SB A/c No - 45760000004124 ₹. -84,286.64	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं


निर्वाहक

	पास जमा राशि और ऐसी प्रत्येक जमा राशि का मूल्य	SB RL No - 33765730298 Rs. 5,000 = 00	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
(iii)	कंपनियों/म्यूचुअल फण्ड और अन्य में बाण्ड, डिबेंचरो/शेयरों तथा यूनितों में निवेश का विवरण और राशि	U.T.I. Number 19/12/40 400000 PACL, Dehra 24/09/04 Rs. 10,000 = 00	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में निवेश का विवरण और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय प्रालेख में निवेश और राशि	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
(v)	किरीसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, ट्रस्ट आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियों तथा राशि	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/त्रैक्टर/प्लेन (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और राशि)	2-कारो यान UP 78CW 3999 2012 करीब 11,50,000 = 00 नाशु	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
(vii)	जेवरात, सोने चाँदी और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य का विवरण)	2-करीब करीब 25,000 75,000 = 00	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तिया जैसे कि दावों/विनयन मूल्य	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
(ix)	संग्रह कु	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं

ख - अचल परिसरों का विवरण :-

टिप्पणी :-

1.
2.



संपत्ति की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
प्रति भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1 (नाम)	आश्रित -2 (नाम)	आश्रित-3 (नाम)
	अवस्थिति (अवस्थिति)	1. 42/1/1, सोहन इलीफंट (320)	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	2. कृपालपुर 40/42/1/1 (320)				
	क्षेत्र फल(एकड में कुल माप)	1. 1.93 ई. 2. 0.1020 ई.	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
(i)	स्वर्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	1. 23.04-2008 2. 03-11-2003	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	1. 2,90,000 = 00 2. 5,100 = 00	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं	नाशु नहीं

निर्वाहक

(5)

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	कय के समय सम्पत्ति का मूल्य (कय की दशा में)	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	विकास, निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति में हित)	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
(vi)	उक्त (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	करीब 9 लाख	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही

(8) मैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी देयों के लिए मेरी देयताओं/बकाया का विवरण निम्नानुसार देता हूँ।
(टिप्पणी कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष राशि का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी (नाम)	आश्रित -1 (नाम)	आश्रित -2 (नाम)	आश्रित-3 (नाम)
(i)	बैंक/वित्तीयसंस्था (संस्थाओं) के ऋण या देयताएं बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया राशि ऋण की प्रकृति	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ऋण कालाहल देता वाहन ऋण रु. 1,76,616/- रु.	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	पूर्वाक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य ऋणों/निकाय का नाम	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	बकाया रकम ऋण की प्रकृति कोई अन्य देयता	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	देयताओं का कुल योग	1,76,616.00	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	सरकारी देयताएं निवास से संबंधित विभागों को देयता	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	जल आपूर्ति से संबंधित-विभाग को देयता	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	विद्युत आपूर्ति से संबंधित विभाग को देयता	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से संबंधित विभाग को देयता	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकॉप्टर सहित) से संबंधित विभाग को देयता	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	आय-कर देयता	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही
	धनकर देयता	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही	नाशु नही

निर्वाहक अधिकारी


(6)

	सेवाकर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रय कर देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य देयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी देयताओं का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि हां तो उसमें निहित राशि और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- (9) वृत्ति या उपजीविका (आक्यूपेशन) के बारे में :-
 क- स्वयं कृषि - बांधक
 ख- पति या पत्नी लागू नहीं

- (10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :- इंटरमीडिएट (2008)

ब्राह्मणिक शिक्षा परिषद, 3090



(प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा का विवरण देते हुए विद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का विवरण दें)

भाग-ख

- (11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गए विवरण का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० <u>श्याम ली विरंजन ज्योति</u>
2	डाक का पूरा पता	<u>जेल बालान, रजौरी इंटरमीडिएट 3090</u>
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>49, जनेहपुर</u>
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को प्रायोजित किया है (अन्यथा "स्वतन्त्र" लिखें)	<u>भारतीय जनता पार्टी</u>
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>लागू नहीं</u>

शिरंजन ज्योति

(7)

	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	लागू नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लागू नहीं				
7		का स्थायी लेखा संख्या (पैन नं०)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरण फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	ATPPJ 6280Q	12-13	2,39,958=		
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और देयताओं का विवरण (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1 (नाम)	आश्रित -2 (नाम)	आश्रित-3 (नाम)
क	चल परिसंपत्तियाँ (कुल मूल्य)	23,83014-00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	अचल परिसंपत्तियाँ					
	(i) स्वार्जित अचल परिसंपत्तियों की कय कीमत	2,95,100=	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) कय के पश्चात अचल का लागत	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(iii) अचल परिसंपत्तियों का मूल्य (यदि लागू हो) बाजार मूल्य	करीब 9 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(iv) आस्तियाँ (कुल मूल्य)	2,95,100=	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	देयताएँ					
	(i) सरकारी देयता (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	0,76,616=	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	ऐसे दायित्व जो विवादग्रस्त हैं					
	(i) सरकारी देयता (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निर्देशानुसार

(8)

11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :- <u>डिप्लोमा इन एजुकेशन, 2008</u> <u>"राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद" 2008</u> (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम पूरे नाम का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का विवरण दें)
----	---


सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह ओर घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मैं, मेरे/मेरी पति/पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयताओं से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

आज तारीख 20/05/2014 को सत्यापित किया गया।



[Signature]
R. Jeyaraj
04.04.2014

[Signature]
अभिसाक्षी
[Signature]

1. शपथपत्र नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि को अधिकतम 3-00 बजे अपरान्ह तक दाखिल करना आवश्यक है।
2. शपथपत्र पर आर्थिक नियंत्रण या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेनी चाहिए।
3. शपथपत्र पर कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में कोई सूचना नहीं है तो या 'शून्य' या 'लागू' नहीं जैसा भी मामला हो, लिखा जाना चाहिए।
4. शपथपत्र या तो टिकीट से लिखा जाना चाहिए या पठनीय और स्वच्छ तरीके से लिखा होना चाहिए।